बिहार मानवाधिकार आयोग

9, बेली रोड पटना–15

पत्रांक– BHRC / स्था0– 06 / 2020 पटना, दिनांक..............2021

प्रेषक,

सचिव,
बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन–सर्म्पक विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :– **बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना कार्यालय हेतु आप्त सचिव के 01 (एक), निजी सहायक के 01 (एक), आशुलिपिक के 01 (एक) रिक्त पद के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय / व्यवहार न्यायालय के सेवानिवृत (अंग्रेजी जानकार) कर्मियों का संविदा पर नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना कार्यालय हेतु आप्त सचिव के 01 (एक), निजी सहायक के 01 (एक), आशुलिपिक के 01 (एक) रिक्त पद के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय / व्यवहार न्यायालय के सेवानिवृत (अंग्रेजी जानकार) न्यायिक पृष्ठभूमि के कर्मियों का संविदा पर नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है।

विज्ञापन सूचना की सी0डी0 (हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी) संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन को सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी, उर्दू एवं अंग्रेजी) में तीन दिनों के अंदर प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं इसकी सूचना आयोग को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः
(i) विज्ञापन सूचना की पाँच प्रति।
(ii) सी0डी0 एक अदद।

विश्वासभाजन

ह0 / –
सचिव
बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना

ज्ञापांक– BHRC / स्था0– 06 / 2020 पटना, दिनांक..............2021

प्रतिलिपि : विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सचिव

ज्ञापांक– BHRC / स्था0– 06 / 2020 14019 पटना, दिनांक 06/9/2021

प्रतिलिपि : सुश्री सुप्रिया कुमारी, सूचना प्रौवेद्यिकी प्रबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के Website पर Upload करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Rajc Ic. 06/9/21

सचिव
6.9.21

बिहार सरकार

बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना

संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन

गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के पत्र संख्या 5739 दिनांक 24.08.2021 द्वारा बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के कार्यालय हेतु आप्त सचिव, निजी सहायक एवं आशुलिपिक के रिक्त नियमित पद के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियोजन हेतु प्राप्त अनुमति के आलोक में बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के अंतर्गत आप्त सचिव के 01 (एक), निजी सहायक के 01 (एक), आशुलिपिक के 01 (एक) पद के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय/ व्यवहार न्यायालय के सेवानिवृत (अंग्रेजी जानकार) को संविदा पर नियोजन हेतु सूचीकरण (Empanelment) के लिए निम्न शर्तो के अधीन आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

सूचीकरण (Empanelment) के उपरान्त यदि नियोजन किया जाता है तो निम्न शर्तो के अधीन होगा :–

i. उन्हीं सेवानिवृत कर्मी को नियोजन हेतु सूचीकरण (Empanelment) किया जायेगा, जो उच्च न्यायलय/ व्यवहार न्यायालय में अंग्रेजी आशुलिपिक/ अंग्रेजी निजी सहायक/ आप्त सचिव या समकक्ष पद पर पदस्थापित रहे हो।

ii. चयन हेतु उम्मीदवार का अधिकतम उम्र सीमा 65 (पैंसठ) वर्ष होगी। चयन प्रथमतः 02 (दो) वर्षों अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगी तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक वर्ष के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरान्त किया जा सकता है।

iii. इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और यदि कार्य संतोषजनक न हो तो उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

iv. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को आवेदक का उम्र 63 (तिरसठ) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

v. नियोजन हेतु सरकारी सेवकों का चयन किये जाते समय उनके सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा।

vi. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत सरकारी सेवक का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन + सेवानिवृति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महँगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि + सेवानिवृति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महँगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा परन्तु पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि उक्त सेवानिवृत सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी। मानदेय का भुगतान स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में **व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ** इकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

vii. सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में यात्रा भत्ता एवं दैनिक उस दर से अनुमान्य होगा, जो उनके धारित पद के लिए एक नियमित सरकारी सेवक को अनुमान्य हैं।

viii. सेवानिवृत और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।

ix. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत सरकारी सेवकों को सभी पदीय शक्तियाँ होगी।

x. संविदा पर नियोजित सरकारी सेवक को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

xi. वैसे कर्मी जिन पर कोई निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/गंभीर आरोप विचाराधीन/ अधिरोपित हो/आपराधिक मामला दर्ज हो, की सेवाएँ नहीं ली जायेगी। उक्त हेतु उन्हें शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।

xii. अनिवार्यतः पी0पी0ओ0 एवं आधार कार्ड की प्रति संलग्न करनी होगी।

xiii. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगें।

xiv. अनुबंध समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित कर्मी का पुनर्नियोजन नहीं होता हैं तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

xv. उक्त पदों पर नियमित बहाली होने पर ये संविदा नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा।

xvi. आवेदन पत्र विज्ञापन की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों तक प्रत्येक कार्य दिवस को सांय 05:00 बजे तक बिहार मानवाधिकार आयोग, 09 बेली रोड, पटना 8000015 के कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे।

xvii. आवेदन– पत्र विहित प्रपत्र हाथों–हाथ या निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे। निर्धारित समय–सीमा के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन– पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

xviii. संविदा नियोजन हेतु निर्धारित शर्तो एवं निर्धारित प्रपत्र को बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के बेबसाइट bhrc.bih.nic.in पर देखा जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है।

Rajesh Kr.
06/9/12.

राजेश कुमार
(सचिव)
बिहार मानवाधिकार आयोग
बिहार, पटना।

विहित – प्रपत्र

1.	विज्ञापन संख्या	:–		फोटो स्वअभिप्रमाणित
2.	किस पद के लिए आवेदन किया	:–		
3.	आवेदक का नाम (हिन्दी में)	:–		
	(अंग्रेजी में)	:–		
4.	Email ID	:–		
5.	अभ्यर्थी के माता/ पिता/ पति या पत्नी का नाम	:–		
6.	जन्म तिथि	:–		
7.	उम्र (दिनांक 01.10. 2021 को)	:–		
8.	लिंग (पुरुष/ महिला)	:–		
9.	योग्यता	:–		
10.	वर्त्तमान पता	:–		
11.	स्थायी पता	:–		
12.	नियुक्ति की तिथि (समकक्ष पद पर)	:–		
13.	किस पद से सेवानिवृत हुए थे, उसका पदनाम/ कार्यालय का नाम/ सेवानिवृत्ति की तिथि	:–		
14.	विभिन्न विभागों में कार्यानुभव की अवधि	:–	(see table below)	
15.	पी0पी0ओ0 संख्या (पी0पी0ओ0 का अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)	:–		
16.	अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक वाद/ निगरानी वाद/ विभागीय कार्यवाही लम्बित है या नहीं। पूर्ण विवरण (शपथ पत्र के साथ)			

S.No.	Name of Department	Post held	Period	Field of Experience	Years of Experience

	अंकित किया जाय।			
17.	भाषा (अंग्रेजी)		शॉर्टहैंड गति (प्रति मिनट)	टंकण गति कम्प्यूटर पर (प्रति मिनट)
18.	संलग्न दस्तावेजों की सूची		1. 2. 3. 4.	

मैं घोषणा करता/ करती हूँ उपर अंकित सभी सूचनाएँ सही है। यदि मेरे द्वारा किसी प्रकार की गलत सूचना दी जाती है तो मेरे विरुद्ध नियोजन प्राधिकार कानूनी कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

आवेदक का हस्ताक्षर

पी0पी0ओ0 संख्या :–

स्थान :–
तिथि :–